अभियंता प्रमुख (मु०) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

कार्यालय आदेश - 335

का0आ0सं0–निग/सारा–1 (पथ) आरोप–39/2016– /पटना, दिनांक 4/11/2026

श्री कौशल किशोर वर्मा, तत्कालीन प्राक्कलक (कनीय अभियंता), पथ प्रमंडल संख्या–01, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा सक्षम पदाधिकारी से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये दिनांक 07.10.2013 से लगातार अनाधिकृत रूप से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित पाये जाने से संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, संख्या–01, गया के द्वारा प्रतिवेदित आरोप के संदर्भ में प्रपत्र "क" के तहत आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश सं०–56–सहपठित ज्ञापांक–1491 (ई०) दिनांक 20.03.2017 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. इस समयान्तराल में दिनांक 31.10.2019 को श्री वर्मा वार्धक्य सेवानिवृत हो गये। फलस्वरूप उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को कार्यालय आदेश संख्या–223–सहपठित ज्ञापांक–9081 (ई०) दिनांक 25.11.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के तहत सम्परिवर्तित किया गया, जिसकी प्रति श्री वर्मा के आवासीय पते पर भी भेजी गयी।

3. श्री वर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–32 अनु०, दिनांक 19.03.2019 के माध्यम से समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री वर्मा के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया है। श्री वर्मा को प्रावधानानुसार संचालन पदाधिकारी के समर्पित जाँच प्रतिवेदन के तहत प्रमाणित किये गये आरोप के संदर्भ में लिखित अभिकथन के रूप में उनसे द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। तत्पश्चात् श्री वर्मा द्वारा कोई उत्तर समर्पित नहीं किये जाने के लिए उन्हें अन्तिम रूप से स्मारित भी किया गया। उनके द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित करने के जगह पर विषयांन्तरित करने वाले तथ्यों के साथ अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया। स्पष्ट है कि श्री वर्मा द्वारा जान–बूझकर विभागीय निदेशों का अवहेलना किया गया तथा अपना पक्ष नहीं रखकर विभागीय कार्यवाही को विलंबित किये जाने का प्रयास भी किया गया। यह तथ्य संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है।

4. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों की सम्यक समीक्षा एवं विश्लेषण के उपरांत श्री वर्मा के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य, दिनांक 03.12.2019 को अस्वीकृत करते हुए प्रश्नगत विभागीय कार्यवाही में गठित आरोप, यथा–सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना दिनांक 07.10.2013 से ही लगातार अनाधिकृत रूप से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित पाये जाने से संबंधित है–के पूर्णतः प्रमाणित पाये जाने के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–17–सहपठित ज्ञापांक–1779 (ई०) दिनांक 25.02.2020 के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

कृ०पृ०उ०

अई. टी. मैनेजर.

(i) श्री कौशल किशोर वर्मा तत्कालीन प्राक्कलक (कनीय अभियंता), पथ प्रमंडल संख्या–01, गया सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) के तहत उनके पूर्ण पेंशन को स्थायी रूप से कटौती किये जाने का दण्ड।

(ii) श्री वर्मा दिनांक 07.10.2013 से सेवानिवृति की तिथि 31.10.2019 तक लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे है, इसलिए श्री वर्मा को इस अवधि का किसी प्रकार के वेतनादि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

5. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री वर्मा ने मान्नीय उच्च न्यायालय में CWJC No-7700/2020दायर किया, जिसमें दिनांक 12.03.2021 के न्यायादेश में दण्डादेश को इस आधार पर Set aside कर दिया गया कि उक्त दण्डादेश बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(a)के तहत संसूचित किया गया हैं। नियम–43(a)के तहत आरोपी को सिर्फ वैसे मामलों के लिए दण्ड दिया जा सकता है, जो उनके सेवानिवृत्ति के उपरांत किया गया हो, जबकि इस मामले में आरोपी के द्वारा सेवा में रहते हुए कदाचार किया गया है। साथ ही इस न्यायादेश के अनुसार प्रतिवादी चार सप्ताह के अन्दर नियमानुसार एक नया आदेश पारित कर सकता है।

6. CWJC No-7700/2020 में दिनांक 12.03.2021 के न्यायादेश के अनुपालन में श्री कौशल किशोर वर्मा, तत्कालीन प्राक्कलक (कनीय अभियंता), पथ प्रमंडल संख्या–01, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संसूचित उक्त दण्डादेश कार्यालय आदेश संख्या–17–सहपठित ज्ञापांक–1779 (ई०), दिनांक 25.02.2020 को निरस्त कर दिया गया।

7.. उल्लेखनीय है कि न्यायादेश में प्रतिवादी को नियमानुसार एक नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी गयी है। उक्त न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–67–सहपठित ज्ञापांक–2950 (ई०) दिनांक 12.04.2021 के द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत श्री वर्मा द्वारा किये गये गंभीर कदाचार से संबंधित गठित आरोप को पूर्णतः प्रमाणित पाये जाने के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

(i) श्री कौशल किशोर वर्मा तत्कालीन प्राक्कलक (कनीय अभियंता), पथ प्रमंडल संख्या–01, गया सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत उनके पूर्ण पेंशन को स्थायी रूप से कटौती किये जाने का दण्ड।

(ii) श्री वर्मा दिनांक 07.10.2013 से सेवानिवृति की तिथि 31.10.2019 तक लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे है, इसलिए श्री वर्मा को इस अवधि का किसी प्रकार के वेतनादि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री वर्मा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No-13989/2022 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 18.02.2026 को पारित न्यायादेश में उक्त दण्डादेश को

Set aside कर दिया गया तथा श्री वर्मा के विरूद्ध नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निदेश दिया गया है। न्यायादेश का कार्यशील अंश निम्नवत है :–

" 15. Accordingly, the order contained in Memo No-2950 dated 12-04-2021 issued under the signature of the Engineer-in-Chief, Road Construction Department, Government of Bihar, Patna is **set aside.**

16. The matter is remitted back to the Engineer-in-Chief, Road Construction Department Government of Bihar, Patna to proceed afresh in the matter as per the provisions contained in Rule 43 (b) of the Bihar Pension Rules, 1950."

9. उक्त पारित न्यायादेश के अनुपालन में सम्यक समीक्षोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है :–

(i) श्री वर्मा के विरूद्ध अधिरोपित दण्डादेश विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–67–सहपठित ज्ञापांक–2950 (ई०) दिनांक 12.04.2021 को निरस्त किया जाता है।

(ii) श्री वर्मा के विरूद्ध पूर्व में गठित आरोप पत्र के आधार बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के आलोक में नये सिरे से अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

ह०/–
अभियंता प्रमुख (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) आरोप–39/2016– /पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया/ अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, गया/ उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–3), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/रोकड़ शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03/13/14 एवं **श्री कौशल किशोर वर्मा, तत्कालीन प्राक्कलक (कनीय अभियंता), सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता–राजीव नगर, रोड नं०–08, पोस्ट–केशरी नगर, पटना–800024** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निबंधित

ह०/–
अभियंता प्रमुख (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) आरोप–39/2016– 7713(E) /पटना, दिनांक 4/11/2026

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

03/11/26

अभियंता प्रमुख (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

03.11.26